

प्रेषक,

एस0राजू,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2-मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ ।
- 3-समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4-समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग

देहरादून: दिनांक 10 मार्च, 2016

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत धारा 4(1) (ख) में प्रदत्त प्राविधानों के अन्तर्गत मैनुअलों के वार्षिक अध्यावधिकरण तथा उनके प्रकाशन एवं इंटरनेट पर अपलोडिंग की कार्यवाही के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपयुक्त विषयक के सन्दर्भ में उत्तराखण्ड सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन 2011-2012 द्वारा संस्तुति की गई है कि सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारियों द्वारा proactive disclosure तैयार किये गये 17 मैनुअलों को प्रतिवर्ष अद्यतन किये जाने तथा अधिनियम की धारा 4(2), 4(3) तथा 4(4) के अन्तर्गत मैनुअलों तक जनसामान्य की पहुँच को सहज बनाने के उद्देश्य से उनको प्रकाशित करने तथा इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित करने का दायित्व भी लोक प्राधिकारियों का है। आयोग द्वारा लोक प्राधिकारियों द्वारा तैयार किये गये मैनुअलों के वार्षिक अध्यावधिकरण तथा उनके प्रकाशन एवं इंटरनेट पर अपलोडिंग की कार्यवाही को वार्षिक रूप से माह अप्रैल से जून के मध्य पूर्ण करने के सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त लोक प्राधिकारियों को निर्देश जारी किये गये हैं। आयोग की संस्तुति है कि इस सम्बन्ध में शासन स्तर से भी समस्त लोक प्राधिकारियों को आयोग के निर्देशानुसार समयबद्ध कार्यवाही पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जाये जिससे लोक प्राधिकारियों के 17 मैनुअल अध्यावधिक हो सकें

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-636/xxxi(13)/G/2011 दिनांक 18 मई, 2011 तथा शासनादेश संख्या-1650/xxxi((13)G/2013-36 (सू0आ0)/2012 दिनांक 15 मई, 2013 पूर्व में ही निर्गत किये जा चुके हैं।

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन 2011-12 की संस्तुति के क्रम में प्रत्येक प्रशासकीय विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (ख) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारियों द्वारा तैयार किये गये 17 मैनुअल तथा अधिनियम की धारा 4(2), 4(3) तथा 4(4) के अन्तर्गत मैनुअलों तक जन सामान्य की पहुँच को सहज बनाने के उद्देश्य से उक्त मैनुअलों को प्रतिवर्ष माह अप्रैल से माह जून तक अध्यावधिक करने के उपरान्त उनका प्रकाशन एवं

इंटरनेट पर अपलोड करने का कष्ट करें जिससे जनसामान्य को इनके माध्यम से आवश्यक सूचनायें सीधे प्राप्त हो सके।

4. प्रत्येक प्रशासकीय विभाग अपने 17 मैन्युअल के अद्यावधिकरण, प्रकाशन एवं इंटरनेट पर अपलोड करने के उपरान्त प्रत्येक वर्ष 30 जून तक कार्यवाही की सूचना की 01 प्रति हार्ड एवं साफ्ट कापी में सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(एस0राजू)

मुख्य सचिव।

352

संख्या- / xxxi(15)2016G-06(रा0सू0आ0) / 2015, तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून।

2-मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।

3-समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

4-समस्त अनुभाग अधिकारी सचिवालय परिसर देहरादून।

5-निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को राजकीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

5-गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(दिलीप जावलकर)

प्रभारी सचिव

6